राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर

पीठासीन अधिकारीः– शकुन्तला चौधरी

मुकदमा नम्बरः–105/2019

विनोद कुमार पुत्र बनवरी जाति मेहतर निवासी टमकोर तहसील मलसीसर जिला झुंझुनूं

–प्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मलसीसर जिला झुंझुनूं।

–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अ.धा 136 भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय

निर्णय दिनांक 03.02.2021

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अ.धा. 136 आर.टी. एक्ट इस आशय का पेश किया है कि ग्राम टमकोर तहसील मलसीसर जिला झुंझुनूं की सरहद में स्थित भूमि खसरा नंबर 719 रकबा 0.76 है. अवस्थित है। उक्त भूमि में प्रार्थी खातेदार काश्तकार हैं। प्रार्थी का नाम सहवान से विनोद पुत्र बलाराम तथा उसके भाई व माता के भी पिता व पति का नाम बनवारी के स्थान पर बलाराम दर्ज हो गया है। इस अशुद्धी को दुरूस्त करवाने के लिए प्रार्थना पत्र सेवा में पेश किया है। तहसीलदार की जांच रिपोर्ट प्रार्थी ने अपने नाम के समर्थन में सरकारी दस्तावेज आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड व सरपंच का प्रमाण पत्र पेश किया है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि बलाराम के स्थान पर बनवारी दर्ज करने का आदेश फरमावें। प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थी की तलबी वास्ते जबाबदेही की गई।

बहस प्रार्थना पत्र एक तरफा श्रवण की गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र में अंकित बलाराम के स्थान पर बनवारी फरमाया जावें।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया ग्राम टमकोर तहसील मलसीसर जिला झुंझुनूं की सरहद में स्थित भूमि खसरा नंबर 719 रकबा 0.76 है. विनोद पुत्र बलाराम, गोरा पत्नि बलाराम व श्यामलाल पुत्र बलाराम दर्ज राजस्व रिकार्ड है लेकिन राजस्व रिकार्ड में सहवान से बनवारी के स्थान पर बलाराम दर्ज हो गया। इस अशुद्धी को दुरूस्त करवाने के लिए प्रार्थना पत्र सेवामें पेश किया गया है। इस प्रकार उक्त विवेचन से प्रार्थी के राजस्व रिकार्ड में उपर्युक्त त्रुटियां दुरूस्त किया जाना उचित प्रतित होता है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम टमकोर तहसील मलसीसर जिला झुंझुनूं की सरहद में स्थित भूमि खसरा नंबर 719 रकबा 0.76 है. जमांबदी संवत 2074–77 में अंकित गोरा पत्नि बलाराम, विनोद पुत्र बलाराम व श्यामलाल पुत्र बलाराम के स्थान पर गोरा पत्नि बनवारी, विनोद पुत्र बनवारी व श्यामलाल पुत्र बनवारी दुरूस्त किया जाता है। खाते के शेष इंद्रजात यथावत रहेंगें। तहसीलदार तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती करें।

(शकुन्तला चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर

निर्णय आज दिनांक 03.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर

(शकुन्तला चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर